रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272832
SG-DL-E-23052026-272832

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]	दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 51
No. 136]	DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948	[N. C. T. D. No. 51

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 मई, 2026

फा. सं. 1(2585)/विधि0/मुख्यालय/22-23/ 2280.—दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में, एतद्वारा "दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्ष अपराधों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी **वृक्ष अधिकारियों को** निर्देश" अधिसूचित करती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्ष संबंधी अपराधों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी **वृक्ष अधिकारियों को** निर्देश

(दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 33 के अंतर्गत अधिसूचित)

जबकि, वृक्ष तथा मानव जीवन अविभाज्य हैं और वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसके अतिरिक्त वृक्ष किसी समाज में सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।

जबकि, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 राज्य सरकार को वृक्ष अधिकारियों, वृक्ष प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन और अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के संबंध में सामान्य या विशेष निर्देश देने का अधिकार देती है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के आशय और उद्देश्य को पूर्ण तथा उचित रूप से प्रभावी बनाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निर्देश जारी करना उचित समझती है, ताकि दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपराधों की रोकथाम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने, अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने, वृक्ष अधिकारियों द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपराधों और उल्लंघनों के लिए सुनवाई/कार्यवाही/जांच/समय पर अभियोजन चलाने और इससे संबंधित अन्य मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जा सके।

निम्नलिखित निर्देशों को "दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994; के अंतर्गत वृक्ष संबंधी अपराधों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ 2026 " कहा जाएगा:

भाग-I

I. अपराध की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र

1. किसी अपराध से संबंधित जानकारी निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है:

   (i) 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर प्राप्त कॉल

   (ii) इस उद्देश्य के लिए पहले से बनाई गई एक समर्पित वेबसाइट, अर्थात् https://ghl.eforest.delhi.gov.in पर ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।

   (iii) पत्रों/हस्तलिखित शिकायतों के माध्यम से ऑफलाइन रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी।

   (iv) ग्रीन दिल्ली ऐप/311 या दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किसी अन्य ऐप के माध्यम से भेजी गई जानकारी।

2. संबंधित रेंज अधिकारी/रेंज प्रभारी, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अंतर्गत प्रथम अपराध रिपोर्ट (एफओआर) दर्ज करेंगे। ऐसी सभी जानकारी तत्काल वास्तविक समय में संबंधित वन नियंत्रण कक्ष, मंडल नियंत्रण कक्ष, बीट अधिकारी और भू-स्वामी एजेंसी को भेजी जाएगी ताकि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार तत्काल कार्रवाई की जा सके:-

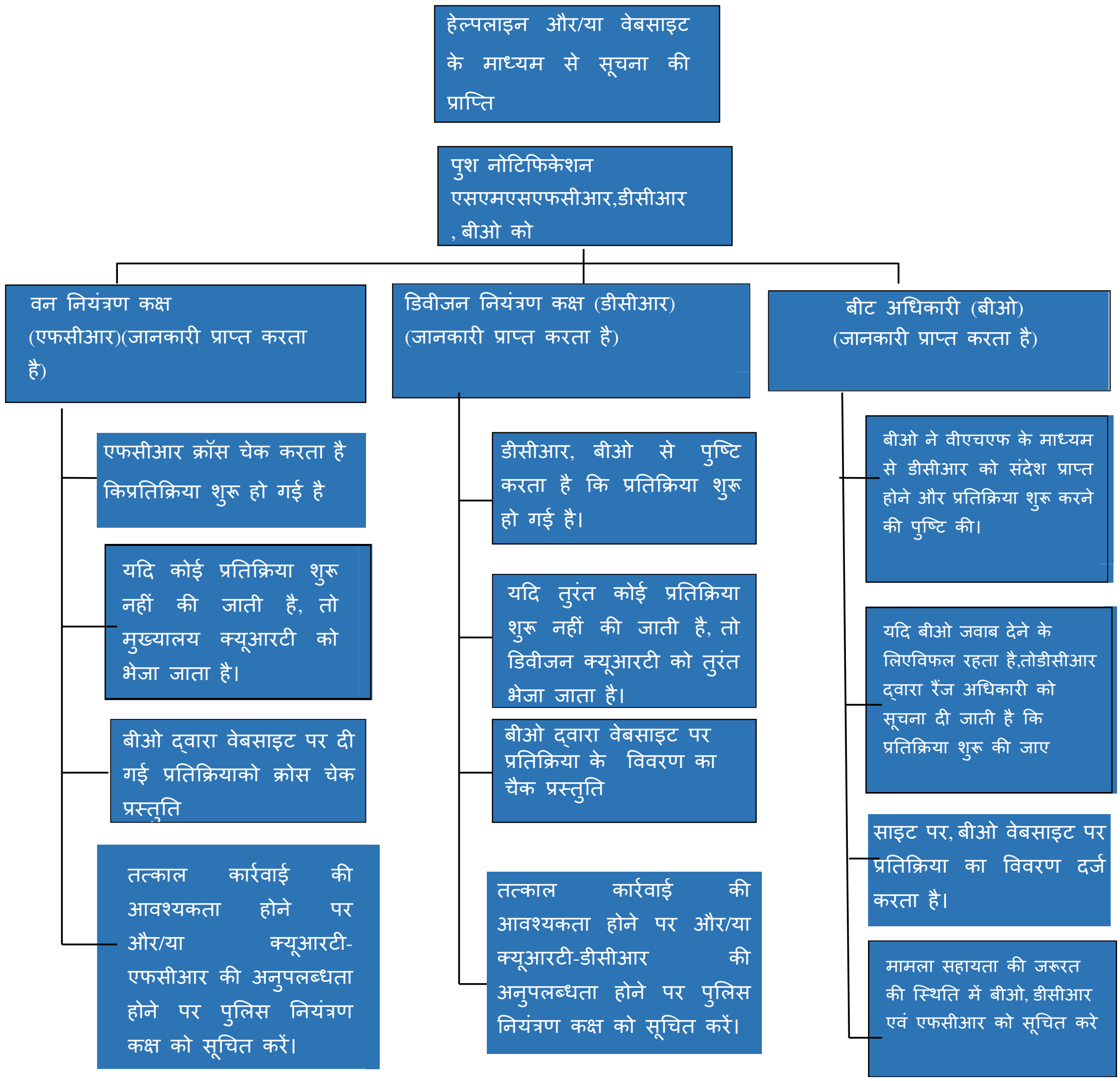

II. त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्युआरटी) द्वारा घटनास्थल पर कार्रवाई

1. त्वरित प्रतिक्रिया दल यह सुनिश्चित करेंगे कि साइट पर यथास्थिति बनी रहे औरइसके लिए वे निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(क) अपराध को होने से रोकने और आगे अपराध होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना।

(ख) अपराध स्थल की भू-संदर्भित तस्वीरें लें, अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) की वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जिसमें अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, उपकरण, नाव, वाहन, पशु या अन्य परिवहन साधन शामिल हों, साथ ही वृक्ष या उसका वह भाग भी शामिल हो जिसे काट दिया गया। जमीन पर या वृक्षके तने पर, जैसा भी मामला हो।

(ग) अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और पता लिखित रूप में दर्ज करें।

(घ) अपराध में संलिप्त होने के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को, और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम या पता देने से इनकार करता है या ऐसा नाम या पता देता है जिसके बारे में संबंधित अधिकारी को यह मानने

का कारण है कि वह झूठा है या यदि उसे यह मानने का कारण है कि वह व्यक्ति फरार हो जाएगा, तो आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित रेंज अधिकारी के पास ले जाया जाए।

(ङ) अपराध स्थल को तब तक घेर कर रखें जब तक कि बीट ऑफिसर / डिप्टी रेंज ऑफिसर / रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर न आ जाएं।

2. त्वरित प्रतिक्रिया दलघटनास्थल से तभी रवाना होगा जब संबंधित बीट अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाएगा और उपरोक्त प्रविष्टि II (1) के अनुसार एकत्रित सभी आवश्यक जानकारी सौंप देगा।

III. <u>घटनास्थल पर गश्त अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई</u>

1. <u>निवारक उपाय</u>

अपराध होने की आशंका होने पर संबंधित बीट अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क) स्थलपरमौजूदसभीवृक्षोंकीभू-संदर्भित तस्वीरें और भू-निर्देशांक लें।

ख) वृक्षों के पास खुदाई/उत्खनन के कारण अपराध होने की आशंका होने पर, वृक्षों की दृश्य स्थिति में गिरावट आने पर, निर्माण क्षेत्र में अवरोध लगाने से वृक्षों तक सीधी दृष्टि बाधित होने पर, मिट्टी के कटाव आदि के कारण अपराध होने की आशंका होने पर, सार्वजनिक भूमि स्वामी एजेंसी को उनके संबंधित नियंत्रण कक्ष नंबरों पर और संबंधित प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें, और निजी भूमि स्वामी के मामले में संबंधित स्वामी/अधिभोगी को सूचित करें। साथ ही, उपरोक्त सूचना की एक प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें।

ग) जहां कहीं भी दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 8 के उल्लंघन और/या ऐसे उल्लंघन की तैयारी की उचित आशंका हो, वहां संबंधित बीट अधिकारी/वन रक्षक, वृक्ष अधिकारी के निर्देश पर या स्वयं वृक्ष अधिकारी द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 20 के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को लिखित निषेधाज्ञा जारी की जाएगी और उक्त आदेश को संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा।संबंधित भू-स्वामी एजेंसी और अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई अपराध न हो और स्थल पर यथास्थिति बनी रहे।

घ) वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जारी किया गया निषेधाज्ञा आदेश या उसकी एक प्रति घटनास्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर या ऐसे अन्य तरीके से लगाई जाए जैसा वृक्ष अधिकारी उचित समझे।

2. **<u>अपराध की कार्यवाही में हस्तक्षेप</u>**

(i) जिन मामलों में अपराध आंशिक रूप से संपन्न हो चुका है और/या जारी है, संबंधित वन अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क) अपराध को होने से रोकने और आगे अपराध होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना।

ख) अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति / व्यक्तियों की भौगोलिक संदर्भ वाली तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग लें, जिसमें उक्त अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, उपकरण, कोई भी नाव, वाहन, जानवर या अन्य परिवहन साधन शामिल हों, साथ ही क्षतिग्रस्त और/या जमीन से अलग हुए वृक्ष या उसके हिस्से की भी, जैसा भी मामला हो।

ग) अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम और पता लिखित रूप में दर्ज करें और उनकी पहचान और पते के प्रमाण की एक प्रति लें।

घ) अपराध में संलिप्त होने के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लें, और यदि ऐसा व्यक्ति

अपना नाम या पता देने से इनकार करता है या ऐसा नाम या पता देता है जिसके बारे में संबंधित अधिकारी को यह मानने का कारण है कि वह झूठा है या यदि उसे यह मानने का कारण है कि वह व्यक्ति भाग जाएगा, तो आगे की कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंचे रेंज अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें।

ङ) जांच पूरी होने तक अपराध स्थल को घेर कर रखें।

च) सार्वजनिक भू-स्वामी एजेंसी को उनके संबंधित नियंत्रण कक्ष संख्या(ओं) पर और संबंधित प्रभारी अधिकारी(यों) को लिखित रूप में सूचित करें, और निजी भूमि स्वामी के मामले में–संबंधितअधिकारी(यों) को सूचित करें। संबंधित स्वामी / किरायेदार को मौखिक और लिखित रूप में, किए गए अपराध की स्पष्ट रूप से पहचान करते हुए सूचित करें।

छ) स्थानीय पुलिस स्टेशन को लिखित रूप में सूचित करें और किए गए अपराधों का स्पष्ट विवरण दें।

ज) संबंधित वृक्ष अधिकारी से अनुरोध है कि वे उक्त अपराध के लिए प्रयुक्त औजारों, उपकरणों, नावों, वाहनों, जानवरों या अन्य परिवहन साधनों को जब्त कर लें, साथ ही उस वृक्ष या उसके हिस्से को भी जब्त कर लें, जिसे जमीन से या तने से अलग कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो।

झ) जब्त की गई वस्तुओं और सामग्रियों को वृक्ष अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षित रूप से ले जाएं।

(ii) जहां कहीं भी अपराध होने की आशंका हो, वहां वृक्ष अधिकारी दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 20 के साथ धारा 31 (घ) के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति / व्यक्तियों को लिखित निषेधाज्ञा जारी करेगा और उक्त आदेश को संबंधित भूमि-स्वामित्व एजेंसी और अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ भेजेगा कि आगे कोई अपराध न हो और घटनास्थल पर यथास्थिति बनी रहे। वृक्ष अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसकी एक प्रति अपराध से संबंधित व्यक्ति के ज्ञात पते पर किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाई जाए, जो कि प्रभारी वन अधिकारी को अंतिम बार दिया गया था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत दिया गया पता भी शामिल है, या ऐसे किसी अन्य तरीके से दी जाए जैसा वृक्ष अधिकारी उचित समझे, और ऐसी तामील पर्याप्त तामील मानी जाएगी।

(iii) जहां कहीं भी जारी किए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन होता है, वहां वृक्ष अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154) के अंतर्गत संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा, ताकि कानून के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

(iv) वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 11(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वृक्षों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, जहां आवश्यक हो, तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से किया जाए।

(v) उपर्युक्त में किसी भी बात के निहित होते हुए,संबंधित वन कर्मी या वृक्ष अधिकारी, जैसा भी मामला हो, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 तथा इन मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जहां पुलिस की सहायता की आवश्यकता हो, वहां संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी से सहायता मांगेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता

हो। संबंधित वन कर्मी या वृक्ष अधिकारी संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करेगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2022 को अवमानना मामले (सिविल) संख्या 220/2022 नई दिल्ली नेचर सोसाइटी बनाम श्री राजेश बंसल और अन्यमें पारित आदेश में निर्देशों की शर्तों के अनुसार सहायता मांगी जा रही है, जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब भी वृक्ष अधिकारी या वन रक्षक द्वारा पुलिस सहायता मांगी जाए, तो संबंधित थाना प्रभारी कम से कम दो पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा ताकि उक्त वन कार्मिकों के जीवन और सुरक्षा को कोई खतरा न हो। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया कि वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध किए जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने पर विधिवत विचार किया जाएगा और उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

3. **विवाद की स्थिति में वृक्ष अधिकारियों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में समाधान किया जाएगा।**

जब भी कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तथा विभिन्न वन प्रभागों के बीच क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के निर्धारण में विवाद उत्पन्न होता है, तो वन संरक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बशर्ते कि प्रथम दृष्ट्या प्रतिक्रिया देने वाले वन कर्मियों द्वारा उपरोक्त भाग-Iमें निर्धारित कार्रवाई में कोई विलंब नहीं किया जाएगा।

भाग-II

वृक्ष अधिकारी के समक्ष कार्यवाही

4. **जाँच करना**

सभी अपराध (अपराधों) तथा कथित अपराध (अपराधों) के मामलों में, संबंधित वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क) संबंधित वनकर्मी /बीट अधिकारी को घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने का निर्देश दें, जिसमें घटनास्थल के अंदर तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हों, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। अपराध की सूचना मिलने पर, स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्षदर्शी जानकारी जुटाएं तथा यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी हों तो उनके संपर्क विवरण और बयान दर्ज करें, तथा अपराध के संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए आवश्यक सभी ऐसे उपाय करें।

ख) अपराध (अपराधों)को करने वाले संदिग्ध व्यक्ति(व्यक्तिओं)/निजी संस्था/संगठन (विभगाध्यक्ष/ अधिकारी/ इकाई, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन के अन्य अधिकारी) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 31(घ) के अंतर्गत जांच करने के लिए निर्धारित तिथि और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए 'नोटिस' जारी किया जाए।

ग) शिकायतकर्ता/ सूचनादाता को सुनवाई की तिथि और/या शुरू की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करते हुए सूचना जारी करें तथा वृक्ष अधिकारी की सहायता करने का अवसर प्रदान करें।

वृक्ष अधिकारी दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपने समक्ष होने वाली सभी कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

5. **नोटिस**

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 31(घ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का प्रारूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6. **<u>नोटिस भेजने का माध्यम-</u>**

(1) इस मानक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस या पत्राचार अपराध (अपराधों) को करने वाले संदिग्ध व्यक्ति (व्यक्तिओं)/ निजी संस्था/संगठन (विभगाध्यक्ष/अधिकारी/इकाई, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन के अन्य अधिकारी) या किसी अन्य व्यक्ति को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा तथा यदि उपलब्ध हो तो ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

(2) यदि कोई नोटिस या पत्राचार बिना तामील हुए वापस आ जाता है, उस पर यह लिखा होता है कि प्राप्तकर्ता ने नोटिस या पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो नोटिस या पत्र को तामील किया हुआ मान लिया जाएगा।

(3) यदि नोटिस या पत्र इस टिप्पणी के साथ वापस आ जाता है कि प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिला, तो वृक्ष अधिकारी मामले के प्रभारी संबंधित वन कर्मी को सही पता सत्यापित करने तथा प्रदान करने का निर्देश देगा, और सही पता प्राप्त होने पर, ऐसेपते पर एक नया नोटिस या पत्र जारी किया जाएगा।

(4) जहां उप-प्रविष्टि (3) के अंतर्गत नोटिस या पत्र लौटा दिया जाता है, वहां वृक्ष अधिकारी संबंधित व्यक्ति के ज्ञात पते पर, जो कि अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत दिए गए पते सहित, प्रभारी वन कर्मी को अंतिम बार दिया गया था, किसी प्रमुख स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर या वृक्ष अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके से उसकी तामील करवाएगा और ऐसी तामील को पर्याप्त तामील माना जाएगा।

7. **<u>साक्षी को समन</u>**

यदि वृक्ष अधिकारी की राय में, उनके समक्ष मामले के उचित निर्णय के लिए किसी गवाह की उपस्थिति आवश्यक है, तो वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे:

वृक्ष अधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 1 और 5, आदेश XVI के अनुसार समन जारी किया जाए।

8. **<u>सम्मन भेजने का माध्यम</u>**

1. इस मानक प्रक्रिया के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक समन साक्षी या किसी अन्य व्यक्ति को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा तथा यदि ईमेल उपलब्ध हो तो ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।
2. यदि कोई समन बिना तामील हुए वापस आ जाता है और उस पर यह लिखा होता है कि प्राप्तकर्ता ने समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो समन को तामील किया हुआ मान लिया जाएगा।
3. यदि समन इस आशय के समर्थन के साथ लौटा दिया जाता है कि प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिला, तो वृक्ष अधिकारी मामले के प्रभारी संबंधित वन कर्मी को सही पता सत्यापित करने और प्रदान करने का निर्देश देगा, तथा सही पता प्रस्तुत किए जाने पर, ऐसे पते पर एक नया समन जारी किया जाएगा।

9. **<u>किसी साक्षी को उपस्थिति और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।</u>**

ऐसे मामलों में जहां अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति(व्यक्तिओं)/निजी संस्था/संगठन(विभगाध्यक्ष/अधिकारी/इकाई प्रमुख, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन का अन्य अधिकारी) को, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, नोटिस जारी होने के बावजूद वृक्ष अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने पर, यदि किसी साक्षी को समन जारी किया गया है और वह साक्षीउक्त समन के अनुपालन में उपस्थित होने और/या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:

वृक्ष अधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 10 ,आदेश XVI के अनुसार, संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

10. **सुनवाई की प्रक्रिया**

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 31(घ) के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों में वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

1. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हों।
2. प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करें और लिखित (प्रस्तुति)प्रस्तुतियाँ, दस्तावेजों आदि प्रस्तुत करने का अवसर दें।
3. निर्धारित सुनवाई की तिथि पर, यदि अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति (व्यक्तिओं) /निजी संस्था/संगठन(विभगाध्यक्ष/अधिकारी/इकाईप्रमुख, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन का कोई अन्य अधिकारी) तथा समनित कोई भी साक्षी, नोटिससमन की तामील होने के बावजूद /, स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मामले की जांच पूर्ण की जाए तथा अपने निष्कर्ष अभिलेखित रूप में दर्ज किए जाएं। तत्पश्चात, वृक्ष अधिकारी आवश्यकतानुसार मामले को अभियोजन हेतु सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, रेंज अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा तैयार कराकर दाखिल करवाएगा।
4. वृक्ष अधिकारी, यदि उचित समझे तो किसी भी शर्त पर तथा कार्यवाही के किसी भी चरण में सुनवाई स्थगित कर सकता है: बशर्ते कि कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसी स्थगन एक से अधिक बार नहीं दी जाएगी और दो सुनवाईयों के बीच पंद्रह दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होगा।
5. प्रत्येक सुनवाई के लिए लिखित आदेश पारित करें तथा सुनिश्चित करें कि वे निम्नलिखित हों:

   क) मामले से संबंधित पक्षों को नि:शुल्क भेजा गया, और

   ख) इसे ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
6. शिकायत प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर जांच को अधिमानतः पूर्ण करें।।
7. मामले से संबंधित पक्षों को अंतिम आदेश की एक प्रमाणित प्रति नि:शुल्क भेजी जाएगी।

भाग-III

I. नियंत्रण कक्षों की स्थापना

मुख्यालयों तथा प्रभागों में नियंत्रण कक्ष:

(1) वन एवं वन्यजीव विभाग निम्नलिखित नियंत्रण कक्षों की स्थापना करेगा जो सप्ताह के सभी दिन, चौबीसों घंटे और पूरे वर्ष कार्यरत रहेंगे:

(क) मुख्यालय स्तर पर जिसे वन नियंत्रण कक्ष (एफसीआर) के रूप में जाना जाता है; और

(ख) प्रत्येक वन प्रभाग में जिसे प्रभाग नियंत्रण कक्ष (डीसीआर) के रूप में जाना जाता है।

(2) आवश्यकतानुसार, परिस्थिति-दर-परिस्थिति के आधार पर, दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा और केंद्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाओं के नियंत्रण कक्षों से सहायता ली जाएगी ताकि परिस्थिति अनुसार, तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

(3) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी अपराध की सूचना/जानकारी वन नियंत्रण कक्ष को प्राप्त होते ही, उसे तुरंत प्रभाग नियंत्रण कक्ष और मुख्यालय की त्वरित प्रतिक्रिया दलों को भेज दिया जाएगा। सूचना में घटना स्थल, सूचनादाता/ शिकायतकर्ता का फोन नंबर और अपराध की प्रकृति शामिल होगी।

(4) एफसीआर से सूचना प्राप्त होने पर, प्रभाग नियंत्रण कक्ष तुरंत निकटतम प्रभागीय त्वरित प्रतिक्रिया दल और बीट वन अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देगा।

(5) वन नियंत्रण कक्ष और प्रभाग नियंत्रण कक्ष (कक्षों) का नेतृत्व उपयुक्त रैंक के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

(6) वन नियंत्रण कक्ष और प्रभाग नियंत्रण कक्ष (कक्षों), ऊपर क्रमांक (1) में उल्लिखित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान करेंगे, जिनमें वृक्ष संबंधी शिकायतें, वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास और वन्यजीव संबंधी शिकायतें शामिल हैं।

II. <u>त्वरित प्रतिक्रिया दलों (क्यूआरटी) की स्थापना</u>

मुख्यालय तथा प्रभागों में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी):

(1) वन एवं वन्यजीव विभाग मुख्यालय स्तर पर और प्रत्येक वन प्रभाग में अधिनियम के जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति और उपकरणों के साथ क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया दल) तैनात करेगा।

III. <u>एक समर्पित वेबसाइट का निर्माण</u>

1) वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली सरकार, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत की गई शिकायत के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट का अनुरक्षण करेगी।

IV.<u>अभियोजन /विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना</u>

1) <u>मुख्यालय स्तर पर विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना</u>:

क) वन एवं वन्यजीव विभाग अपने मुख्यालय में एक विधिक प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जिसमें मामलों की कुशल निगरानी के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति और सुविधाएं होंगी। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ख) विधिक प्रकोष्ठ विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों की निगरानी तथा देखरेख करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित वेबसाइट पर वास्तविक समय के आधार पर इसकी जानकारी अद्यतन करेगा।

2) <u>प्रभाग स्तर पर अभियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना</u>:

क) वन एवं वन्यजीव विभाग प्रत्येक वृक्ष अधिकारी के अधीन एक अभियोजन प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जिसमें मामलों के कुशल अभियोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति तथा सुविधाएं होंगी।

ख) अभियोजन प्रकोष्ठ वृक्ष अधिकारियों के सभी अर्ध-न्यायिक कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा, अर्ध-न्यायिक कार्यों के निर्वहन में वृक्ष अधिकारियों की सहायता करेगा, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष अभियोजन के लिए मामले तैयार करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पर वास्तविक समय के आधार पर उनकी स्थिति को अद्यतन करेगा।

ये निर्देश शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

ये निर्देश इस संबंध में पहले जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों / निर्देशों का स्थान लेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 18th May, 2026

F. No. 1 (2585)/Legal/HQ/22-23/2280.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest, hereby, notifies "Directions to Tree Officers on Standard Operating Procedure for dealing with Tree Offences under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994"

DIRECTIONS TO TREE OFFICER ON STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR DEALING WITH TREE OFFENCES UNDER THE DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994

(Notified under Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994)

WHEREAS, Trees and human life are inseparable and human life cannot be imagined without trees, further trees are important component of sustainable development in a society.

Whereas, Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 empowers State Government to give direction to Tree Officers, other officers of the Tree Authority and Officers subordinate to them general or special directions regarding the discharge of their functions and for carrying out effectively the purposes of the Act.

Therefore, in view of giving full and proper effect to the intent and purpose of the Delhi Preservation of Trees Act,1994 and for the preservation of Trees in the National Capital Territory, the Government of National Capital Territory of Delhi considers it expedient to issue directions under the powers vested in it by Section 33 of the Delhi Preservation ofTrees Act, 1994 to follow the Standard Operating Procedure (SOP) for effectuating the provisions for prevention of commission of offences under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for effective response on receipt of information of offence(s), for conducting hearings / proceedings / investigation / timely prosecution by the Tree officers for the offences and violations under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 and mattersancillary thereto.

The following directions shall be called the "*Standard Operating Procedures for dealing with Tree Offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994; 2026*":

PART-I

I. Receipt of Information of Offence–Quick Response Mechanism

1. Information regarding an offence can be received by way of–

(i) Calls received on the 'Green Helpline'

(ii) Information submitted online on a dedicated website already created for this purpose i.e. https://ghl.eforest.delhi.gov.in.

(iii) Information submitted offline through letters / hand-written complaints.

(iv) Information forwarded through Green Delhi App/ 311 or any other app developed by Delhi Government.

2. The Range Officer / Range In-Charge concerned will register a First Offence Report (FOR) under Section 22 of the DPTA, 1994. All such information shall be transmitted forthwith in real time to the Forest Control Room, Division Control Room and Beat Officer concerned and to Land-Owning agency for immediate action as enumerated in the table below:-

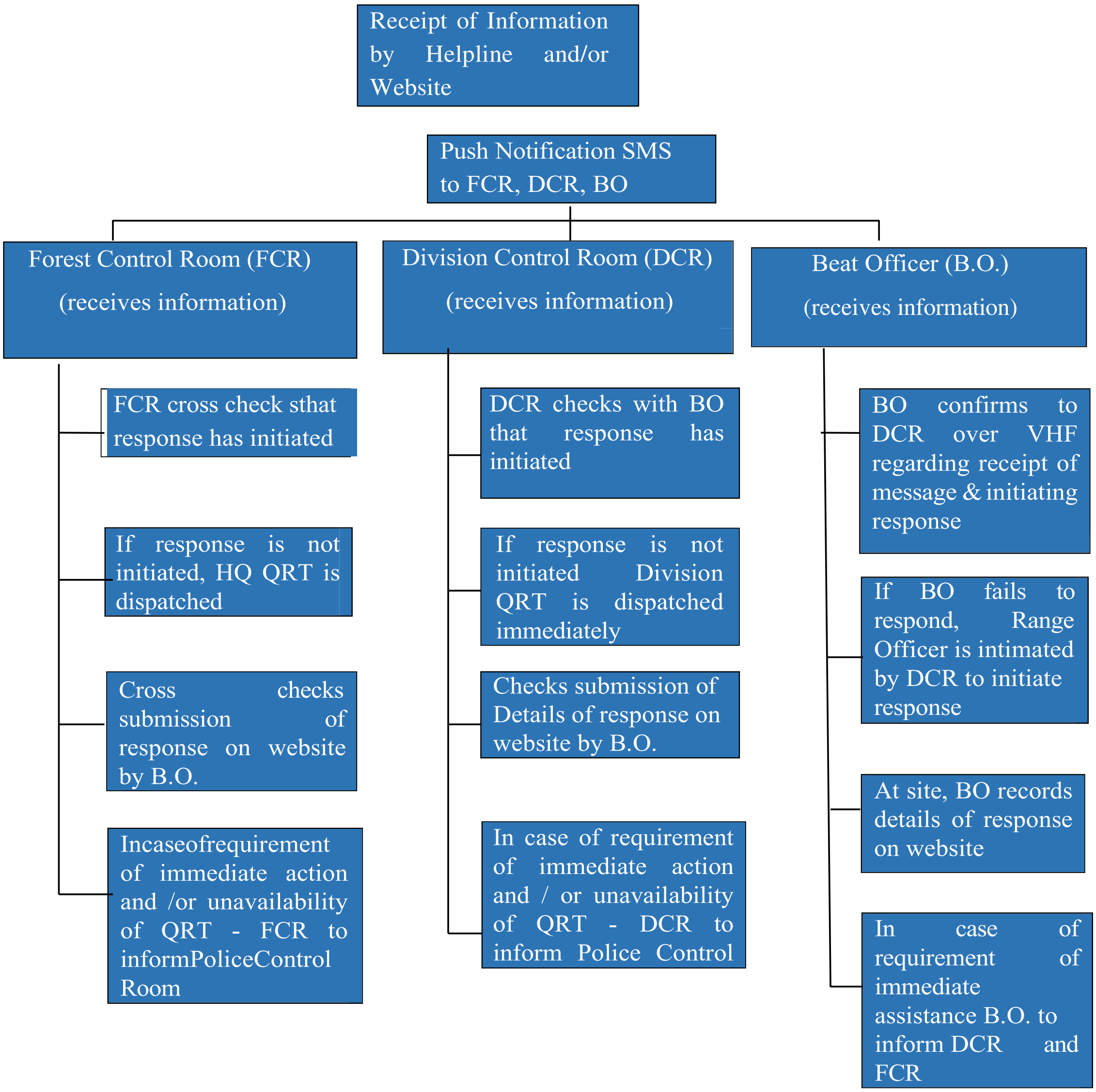

II. Action at Site by Quick Response Team (QRT)

1. The QRT personnel shall ensure that status quo is maintained at site and shall for this purpose:

   a) Interfere to stop the commission of the offence and prevent further commissionof the offence.

   b) Take geo-referenced photographs of the site, video recording of the person(s) suspected of committing the offence including tools, implements, any boats, vehicles, animal other conveyances used for the commission of the said offence, along with the Tree or part thereof, which has been severed from the ground or the trunk, as the case may be.

   c) Record in writing the name and address of the person(s) suspected of committing the offence.

   d) Take any person(s), reasonably suspected of having been concerned in the offence committed, and where such person refuses to give his name or address or gives a name or address which the concerned officer has reasonto believe to be false or if he has reason to believe that the person will abscond, to the concerned Range Officer for further action.

   e) Cordon the site of the Offence till such time the Beat Officer / Dy. Range Officer / Range Forest Officer arrives.

2. The QRT shall leave the site only after arrival of the concerned Beat Officer at the site and handing over of all necessary information collected in terms of entry II (1) above.

III. Action at Site by Beat Officer

1. Preventive Measures

In cases where there is apprehension of commission of offence the concerned Beat Officer shall:

a) Take geo-referenced photographs and geo-coordinates of all the Trees at the site.

b) Inform the Public Land-Owning Agency on their respective Control Room Number(s) and in writing to the concerned Officer (s) in Charge, and in cases of private land owner–to the respective Owner / Occupier, wherever there is apprehension of commission of an offence due to digging/excavation near the Trees, deterioration of visible health of Trees, barricading of construction area(s) which block the direct line of sight to the Tree(s),erosion of soil etc. and submit a copy of the aforesaid intimation to the Local Police Station.

c) Wherever there is reasonable apprehension of contravention of Section 8 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 and / or preparation to commit such contravention, the concerned Beat Officer / Forest Guard shall upon direction of the Tree Officer, or the Tree Officer himself / herself issue a Restraining Order in writing under Section 20 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994,to the concerned person(s) and cause the said Order to be sent to the concerned Land-Owning Agency and the jurisdictional Police Station with a request to ensure that no offence is committed and status quo is maintained at the site.

d) The Tree Officer shall also cause the Restraining Order so issued or a copy thereof to be affixed in some conspicuous place at the site or in such other manner as the Tree Officer may think fit.

2. **Interception of Offence in progress**

(i) In cases where Offence has been partly committed and/ or is underway, the concerned Forest Official shall:

a) Interfere to stop the commission of the offence and prevent further commission of offence(s).

b) Take geo-referenced photographs, video recording of the person(s) suspected of committing the offence including tools, implements, any boats, vehicles, animals or other conveyances used for the commission of the said offence(s), along with the Tree or part there of, which has been damaged and/or severed from the ground or the trunk, as the case maybe.

c) Record in writing the name and address of the person(s) suspected of committing the offence and take a copy of their identity and address proof.

d) Take any person(s) reasonably suspected of having been concerned in the offence committed, and where such person refuses to give his name or address or gives a name or address which the concerned officer has reason to believe to be false or if he has reason to believe that the person will abscond, to Range Officer or any officer superior to him arrives at the site for further action.

e) Cordon the site of the Offence till such time the inquiry is completed.

f) Inform the Public Land - Owning Agency on their respective Control Room Number(s) and in writing to the concerned Officer(s) in Charge and in cases of private land owner–to the respective Owner / Occupier verbally and in writing, specifically identifying the offence committed.

g) Intimate in writing to the Local Police Station specifically enumerating the offence(s) committed.

h) Request the concerned Tree Officer to seize the tools, implements, any boats, vehicles, animals or other conveyances used or the commission of the said offence, along with the Treeorpart there of, which has been severed from the ground or the trunk, as the case may be.

i) Safely transport seized objects and material to the site designated by the Tree Officer.

(ii) Wherever there is apprehension of further commission of offence(s), the Tree Officer shall issue a Restraining Order in writing under Section 20 read with Section 31 (d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, to the concerned person(s) and cause the said Order to be sent to the concerned Land-Owning Agency and the jurisdictional Police Station with a request to ensure that no further offence is committed and status quo is maintained at the site. The Tree Officer shall also cause the same to be served by fixing a copy thereof in some conspicuous place at the known address of the person concerned with the offence which was last given to the forest official in-charge including the address given under Section 19 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, or in such other manner as the Tree Officer may think fit and such service shall be deemed to be sufficient service.

(iii) Wherever there is a violation of the Restraining Order so issued, the Tree Officer shall intimate the concerned Police Station under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973), to take appropriate penal action in accordance with law.

(iv) The Tree Officer shall ensure that powers conferred by Section 11(2)of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 are exercised for protection and preservation of Trees, where necessary, by way of a reasoned and speaking Order.

(v) **Notwithstanding the foregoing,** the concerned forest Official or Tree Officer, as the case may be, shall in cases where aide and assistance of the Police is required for implementing the provisions of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 and these SOP, shall seek the assistance of the Station House Officer of the Police Station concerned having jurisdiction over the site or area. The concerned Forest Official or Tree Officer shall intimate the concerned Station House Officer that his aid and assistance is being sought in terms ofthe directions of the Hon'ble High Court of Delhi passed vide itsOrder dated 14.03.2022 in Contempt Case (Civil) No. 220 of 2022*New Delhi Nature Society v Sh. Rajesh Bansal and Ors.*, wherein the Hon'ble High Court has directed that as and when are quest for police assistance is made by the Tree Officer or a Forest Guard, the SHO concerned shall depute at-least two police officers so that there is no threat to the life and limb of the said Forest Personnel. It was further directed that provision of further security would also be duly considered and provided by the local police upon such request being made by the Tree Officer.

3. **Resolution in cases of conflict to Territorial jurisdiction of Tree Officers**

Whenever, in cases where offence has been detected and there is a conflict in ascertaining the territorial jurisdiction between separate forest divisions, the decision of the Conservator of Forests shall be final and binding. Provided that there shall be no delay in actions prescribed in Part-I above by the Forest Officials responding at the first instance.

PART–II

PROCEEDINGS BEFORE THE TREE OFFICER

4. **Inquiry**

In all cases of Offence(s) and alleged offence(s), the concerned Tree Officer shall:

a) Cause the concerned Forest Official / Beat Officer to gather evidence from the site, including but not limited to CCTV footage in and around the site of the offence, gather local human intelligence and record contact details and statements of eyewitnesses, if any, and take all such measures that may be required for gathering evidence regarding the offence committed.

b) Issue a 'Notice' to the Person(s) / Private Entity / Organization (Head of the Department / officer/ unit, director, manager, secretary, treasurer or otherofficer of the organization) suspected of committing the offence(s), to appear before him on such date and time as maybe fixed for holding an inquiry under Section 31(d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

c) Issue intimation to the Complainant/ Informant informing him/her of the date of Hearing and / or proceedings initiated and grants an opportunity to assist the Tree Officer.

The Tree Officer shall be guided by the principles of Natural Justice in all proceedings before it under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

5. **Notice**

A Notice for inquiry into offences shall be issued by the Tree Officer concerned by the powers vested under Section 31(d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994. The format of the Notice shall be as prescribed by Principal Chief Conservator of Forests / HoD.

6. **Mode of Sending Notice-**

(1) Every Notice or correspondence under this SOP shall be sent to the Person(s)/ Private Entity/ Organization (Head of the Department/ officer/ unit, director, manager, secretary, treasurer or other officer of the organization) suspected of committing the offence(s) or any other person, by registered post with acknowledgement due and by e-mail if same is available.

(2) If any Notice or correspondence is returned unserved with an endorsement to the effect that the addressee had refused to accept the Notice or letter, the notice or letter shall be deemed to have been served.

(3) If the Notice or letter is returned with an endorsement to the effect that the addressee cannot be found at the address given, the Tree Officer shall direct the concerned Forest official in charge of the case to verify and provide the correct address, and on production of the correct address, a fresh Notice or letter shall be issued at such address.

(4) Where the notice or letter is returned under sub-entry (3) above, the Tree Officer shall cause the same to be served by fixing a copy thereof in some conspicuous place at the known address of the person concerned which was last given to the forest official in-charge including the address given under Section19 of the Act, or in such other manner as the Tree Officer may think fit and such service shall be deemed to be sufficient service.

7. Summons to witness

Wherein the opinion of the Tree Officer, the presence of a witness is necessary for just adjudication of the matter before him/ her, the Tree Officer shall:

Issue a summons in terms of Order XVI Rule1 and 5 of the Code of Civil Procedure, 1908 by the Tree Officer.

8. Mode of Sendng Summon

1. Every Summon under this SOP shall be sent to the witness or any other person, by registered post with acknowledgement due and by e-mail if same is available.

2. If any Summon is returned un-served with an endorsement to the effect that the addressee had refused to accept the Summon, the Summon shall be deemed to have been served.

3. If the Summon is returned with an endorsement to the effect that the addressee cannot be found at the address given, the Tree Officer shall direct the concerned Forest official in charge of the case to verify and provide the correct address, and on production of the correct address, a fresh Summon shall be issued at such address.

9. **Compelling attendance of a witness and the production of documents and material objects.**

In cases where the Person(s) / Private Entity / Organization (Head of the Department/ officer/ unit, director, manager, secretary, treasurer or other officer of the organization) suspected of committing the offence(s), to whom a Notice has been issued fails to appear before the Tree Officer, or

In cases where summon has been issued to a witness and the witness fails to appear and/or produce any document in compliance of the said summon, the Tree Officer may:

Issue a Warrant of Arrest in terms of Order XVI Rule 10 of the Code of Civil Procedure, 1908, by the Tree Officer through the Police Station concerned.

10. **Procedure for Hearing**

In all proceedings under Section 31(d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Tree Officer shall:

1. Be guided by the Principles of Natural Justice.
2. Afford an opportunity to each party to be heard and to file written submission(s), documents etc.
3. On the date of hearing fixed, if the Person(s)/ Private Entity/ Organization (Head of the Department / Officer / Unit, Director, Manager, Secretary, Treasurer or other officer of the organization) suspected of committing the offence(s) and any witnesses summoned, in spite of the service of Notice/ summon, does not appear either in person or through his authorized representative,andwherethepresenceofsuchpersoncouldnotbe ensured, the Tree Officer shall proceed to ensure that the inquiry in the matter is concluded and arrive at a finding which shall be reduced inwriting. The Tree Officer shall then cause the matter to be prepared andfiled for prosecution beforetheCourtof competent jurisdiction by an officer not below the rank of Range officer, wherever necessary.
4. The Tree Officer may, on such terms as he/ she thinks fit, and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing: Provided that such adjournment shall not be given more than once at any stage of the proceedings and there shall be no more than fifteen days in between two hearings.
5. Pass written Orders for every hearing and ensure that the same is:
   a. sent, free of charge, to the parties in the matter, and
   b. uploaded on the website dedicated for such purpose.
6. Conclude the inquiry preferably within two months from the date of receipt

   of the complaint.
7. Shall cause to be sent, free of charge, to the parties in the matter, a certified copy of the final order.

PART-III

I. Establishment of Control Rooms

Control Room at Head quarters and Divisions:

(1) The Department of Forests and Wildlife shall establish following Control Rooms which shall function twenty-four hours a day, on all days of the week and through out the year:

(a) At Head quarter level known as the Forest Control Room (FCR); and

(b) In every forest division known as the Division Control Room (DCR)

(2) As per requirement on case-to-case basis assistance shall be sought from the Control Rooms of the Delhi Police, Delhi Fire Service and Centralized Accident and Trauma Services for ensuring immediate response as and when the situationso requires.

(3) As and when intimation / information of an offence is received under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 by the Forest Control Room, the same shall be transmitted in real time to the Division Control Room and the Quick Response Teams of the Headquarters. The Information shall include the Location of the Incident, Phone Number of the Informant / Complainant and nature of the offence.

(4) Upon receipt of information from the FCR, the Division Control Rooms shall forth with direct the nearest Divisional Quick Response Team and the beat Forest Officer to respond immediately.

(5) The Forest Control Room and the Division Control Room(s) shall be headed byan officer / official of appropriate rank.

(6) The Forest Control Room and the Division Control Room(s) shall handle all the complaints reported through various sources mentioned at serial no (1) above including tree, attempt of encroachment of forest land and wildlife – related complaints.

II. Establishment of Quick Response Teams (QRT)

Quick Response Team(s) (QRT) at Head quarters and Divisions:

(1) The Department of Forests and Wildlife shall deploy QRT's at Headquarter level and in every forest division with adequate manpower and equipment necessary to carry out the mandate site of the Act.

III. Creation of a dedicated Website

1)The Department of Forests and Wildlife, GNCTD shall maintain a dedicated website to cover the entire life cycle of a complaint made under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

IV. Establishment of Prosecution / Legal Cell

1) Establishment of Legal Cell at Head quarter Level:

a. The Department of Forests and Wildlife shall establish a Legal Cell at its Headquarters, with adequate manpower and facilities so required for efficient monitoring of cases. This provision shall come into immediate effect.

b. The Legal Cell shall supervise and monitor the contesting of the cases in various Courts of law and update the same in real time basis on the website designated for this purpose.

2) Establishment of Prosecution Cell at Division Level:

a. The Department of Forests and Wildlife shall establish a Prosecution Cell under each Tree officer, with adequate manpower and facilities so required for efficient prosecution of cases.

b. The prosecution cell shall maintain record of all quasi- judicial functions of Tree Officers, assist Tree Officers in discharge of quasi-judicial functions, prepare cases for prosecution before the Court of competent jurisdiction, and update the status of the same in real time basis on the website designated for this purpose.

These directions shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.

These directions shall supersede all earlier guidelines / directions issued in this regard.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA